

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

॥ शुद्धि पत्र ॥

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-271, दिनांक-31.07.2025 के कण्डिका-03 के अंत में निम्नांकित निर्देश जोड़े जाते हैं :-

“कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आवंटन को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपावंटित करेंगे।”

2. स्वीकृत्यादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

ह0 / -

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 4109 / पटना, दिनांक 12/08/25

01 नि. / कार्या. व्यव. (CFMS)-05 / 2018 (पार्ट)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (ले. एवं हक), बिहार, पटना।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, स.स., बिहार, पटना।
4. वित्त विभाग (बजट शाखा / लेखा शाखा), बिहार, पटना / अवर सचिव, योजना एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव (प्रभारी बजट शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी लेखा शाखा), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / आई.टी. मैनेजर सहकारिता विभाग बिहार पटना।

1.
दिनांक
11-08-2025

सरकार के अपर सचिव।